

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग
वित्त भवन, जयपुर

प.फ.५(ई)(१)(६)अलेखे ॥/३२६६

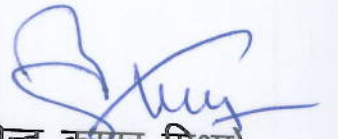
दिनांक ०८-०८-२०१५

सूचना

इस निदेशालय के द्वारा वर्ष २००८ के बैच के सभी कनिष्ठ लेखाकारों को एवं उनके पदस्थापन कार्यालयों/विभागों को सूचित किया जाता है कि इन कनिष्ठ लेखाकारों के २ वर्ष का परीविक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक एवं संतोषप्रद पूर्ण करने के पश्चात् संलग्न प्रारूप (परि. १) में सूचना प्रेषित करें। जिससे उनके स्थाईकरण एवं वेतन नियमितिकरण के प्रकरण पर विचार किया जा सके।

यह भी लेख है कि भविष्य में निदेशालय से पत्र व्यवहार करते समय कार्मिक के लिंक नम्बर एवं मैरिट नम्बर का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

संलग्न:- परि.-१


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥)

कनिष्ठ लेखाकार पद पर दो वर्ष का परीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर स्थाईकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति बाबत वांछित सूचना

1. नाम कार्मिक
2. मेरिट नम्बर एवं लिंक नम्बर
3. जन्म तिथि
4. पिता का नाम
5. पद नाम
6. क.लेखाकार पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
7. कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि
8. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक
9. वर्तमान पदस्थापन स्थान
10. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
11. ऐसे कनिष्ठ लेखाकार जो पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत रहे हैं, एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया है, का परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने की तिथि को मूल वेतन.....(ग्रेड वेतन..... एवं ग्रेड पे.....)
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण काल में लिये गये असाधारण अवकाश का विवरण

[illegible]

हस्ताक्षर कनिष्ठ लेखाकार

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक से कार्यरत हैं। उपरोक्त विवरण का सत्यापन कार्मिक सेवा रिकार्ड से कर लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त विवरण पूर्णतया सही है। श्री द्वारा परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में कुल दिवस का असाधारण अवकाश लिया गया है।

श्री..... कनिष्ठ लेखाकार द्वारा परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में की गई सेवायें एवं कार्य व्यवहार संतोषप्रद है एवं इनके विरुद्ध कोई जांच लम्बित एवं प्रस्तावित नहीं हैं। अतः परीक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान स्वीकृति किये जाने की अभिशंका की जाती है।

दिनांक:-